न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

(पीठासीन अधिकारीः जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

1. श्री विशाल मित्तल सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अप्रार्थी / अभियुक्तः–

1. श्री सुभाष जैन पुत्र श्री कैलाश चंद (खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक) फर्म – मैसर्स विकास किराणा एंव प्रोविजन स्टोर, पांचवा तहसील नावां निवासी – पारा का वास, पांचवा तहसील नावां

प्रकरण संख्या :–02 / 2023

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii), 2(v) एवं दण्डनीय धारा 51, 52 एंव 58"

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री बीरमाराम चौधरी अप्रार्थी की ओर से
2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर

–:निर्णय :–

दिनांक :– 15.05.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.09.2022 को समय 05:30 पी..एम. पर फर्म मैसर्स विकास किराणा एंव प्रोविजन स्टोर, पांचवा तहसील नावां पर पॅहुचा। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री सुभाष जैन पुत्र श्री कैलाश चंद निवासी पारा का वास, पांचवा तहसील नावां पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक की हैसियत से मौजूद है, जो ... को विक्रय वास्ते खाद्य पदार्थ घी(वास्तु ब्राण्ड) इत्यादि को रखा पाया। ... निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन रिनिवल की ... के आधार कार्ड ... स्वहस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 500–500 एम.एल. के 10 जार रखे है, के अमानक का शक होने पर 500–500 एम.एल. के 4 जार नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री सुभाष जैन को 920/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(3) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर प्रपत्र 5ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक तथा गवाहान को पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। प्रपत्र 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक श्री सुभाष जैन को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता, मालिक को बता दिया था कि यह घी (वास्तु ब्राण्ड) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(4) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (वास्तु ब्राण्ड) 500–500 एम.एल. के पैकेटो को खाकी कागजों (गत्तो) में रखकर उन पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेवलो पर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q-2025 दर्ज किया, प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं.– Q-2025 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागों से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे Signature Not Verified र पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधि Digitally signed by Jagdish Prasad Gour स्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जा में लिया। म पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक Date: 2025.12.31 13:14:02 IST सुनाकर एंव समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस श्री सुभाष जैन Reason: SelfAttested गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

(5) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 785 दिनांक 14.10.2022 को जांच रिपोर्ट संख्या LS/1156/Act/2022/1017 दिनांक 06.10.2022 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता मालिक से वास्ते नमूना जाँच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (वास्तु ब्राण्ड) का नमूना अवमानक, मिसब्राण्ड एंव कॉन्ट्रावेंस होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(7) अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, नगौर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(8) अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (वास्तु ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i), 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii), 2(v) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51, 52 एंव 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जावें।

(9) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता [illegible]राम चौधरी ने जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थी सुभाष जैन द्वारा खाद्य पदार्थ घी (वास्तु ब्राण्ड) पैकड अवस्था में ही बैची जा रही थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माता कम्पनी एंव डीलर पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। [illegible]गत प्रकरण में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी सुना गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अप्रार्थी ने खाद्य पदार्थ खरीद सम्बन्धी बिल प्रस्तुत नहीं किए। अप्रार्थी द्वारा बैचा जा रहा खाद्य पदार्थ घी (वास्तु ब्राण्ड) जाँच रिपोर्ट अनुसार अवमानक, मिसब्राण्ड एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला ... कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

कॉन्ट्रावेंस पाया गया है, जिसके लिए अन्तिम रूप से अप्रार्थी ही जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थी पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाया जावें।

(10) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. LS/1156/Act/2022/1017 दिनांक 06.10.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

Opinion-The sample of Ghee(Vastu brand) agmark bearing Code no. and Sr. no. Q-2025 of Designated officer cum Chief Medical and Health Officer, Nagaur is Substandard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat (the Fatty acid profile of sample does not match with the Fatty acid profile of ghee). The sample also Contravenes Regulation No. 2-3-7(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat and Misbrandadunder section of Food Safety and standards Act 2006.

उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i), 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii), 2(v) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51, 52 एंव 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। जो इस प्रकार है:-

धारा – 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(zf) "मिथ्याछाप वाला खाद्य" से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है-

(C) यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ

(i) कोई कृत्रिम सुरुचिक[illegible]यनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज उस तथ्य का कथ[illegible] लेबल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तदधीन ब[illegible]ए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेब[illegible] या उसके उल्लंघन में है

(zx) "अवमानक" से कोई खाद्य पदार्थ तब [illegible]मानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

(V) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य

उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा। या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा 51

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 52

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(7) पत्रावली पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एंव उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान से खाद्य पदार्थ घी (वास्त ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता सुभाष जैन से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमूना Q–2025 अवमानक, मिसब्राण्ड एवं कान्ट्रावेंस पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz)(CIII), 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii), 2(v) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51, 52 एंव 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा अप्रार्थी को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः अप्रार्थी का जवाब अस्वीकार है। इस प्रकार अवमानक, मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर फर्म–मैसर्स विकास किराणा एंव प्रोविजन स्टोर, पांचवा तहसील नावां खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक सुभाष जैन पुत्र श्री कैलाश चंद निवासी पारा का बास, पांचवा तहसील नावां दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक सुभाष जैन पुत्र श्री कैलाश चंद निवासी पारा का बास, पांचवा तहसील नावां फर्मः– मैसर्स विकास किराणा एंव प्रोविजन स्टोर, पांचवा तहसील नावां पर राशि रुपये 15,000/–(अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(9) आदेश दिनांक 15.05.2024 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश प्रसाद गौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ★ कुचामन सिटी ★